



Office of the Principal, Government College Bichhua
Chhindwara (M.P.) 480111



Mobile: +91 9425425968, Email- hegcbicbh@mp.gov.in
<https://www.govtcollegebichhua.org>, <https://www.highereducation.mp.gov.in/?orgid=109>



Established on 21/09/1989, Recognized under 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956

Affiliated to Raja Shankar Shah University, Chhindwara (M.P.) 480001

INTERNAL QUALITY

ASSURANCE CELL (IQAC)

GOVT. COLLEGE, BICHHUA, DIST. CHHINDWARA (M.P.)

IQAC
INITIATIVES





Office of the Principal, Government College Bichhua
Chhindwara (M.P.) 480111



Mobile: +91 9425425968, Email- hegcbicchh@mp.gov.in
<https://www.govtcollegebichhua.org>, <https://www.highereducation.mp.gov.in/?orgid=109>



Established on 21/09/1989, Recognized under 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956

Affiliated to Raja Shankar Shah University, Chhindwara (M.P.) 480001

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY, CHHINDWARA (M.P.)



UNIVERSITY AFFILIATION



Office of the Principal, Government College Bichhua Chhindwara (M.P.) 480111



Mobile: +91 9425425968, Email: hegcbicbh@mp.gov.in
<https://www.govtcollegebichhua.org>, <https://www.highereducation.mp.gov.in/?orgid=109>



Established on 21/09/1989, Recognized under 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956
 Affiliated to Raja Shankar Shah University, Chhindwara (M.P.) 480001

ACADEMIC YEAR : 2023-24

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)
RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)
 P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara Email: affiliationguc@gmail.com

क्र. 10465 / संवत्सरा / 2023 छिंदवाड़ा दिनांक 10/04/2023

प्रति,
 प्राचार्य,
 शास्त्रीय महाविद्यालय, बिछुआ
 जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

विषय— अस्वास्थ्य वार्षिक संवत्सरा निरंतरता सत्र 2023-24 ।

संवत्सरा हेतु आपके द्वारा प्रेषित आवेदन के परिशिष्ट में सूचित किया जाता है कि सत्र 2023-24 के लिये आपके महाविद्यालय को निम्नांकित विषयों हेतु अस्वास्थ्य वार्षिक संवत्सरा निरंतरता प्रदान की जाती है, यह संवत्सरा आगामी समय में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के अक्षर पर मध्य अध्यापन निरंतरता की जायेगी।

विषय / शाखा
बी.ए. — आ.पा. हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र
बी. कॉम — कायदा
बी.एस.सी. — आ.पा. वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणि विज्ञान, भौतिकशास्त्र, गणित
एम.ए. — हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र
एम. कॉम — कायदा
एम.एस.सी. — वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र

सामान्य शर्तें —

- शासन की मान्यता/नियामक संस्था की मान्यता प्राप्ति हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के अनिवार्य पत्र के आधार पर अस्वास्थ्य संवत्सरा प्रदान की जाती है।
- अस्वास्थ्य संवत्सरा निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2024-25 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा/नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित संवत्सरा शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विषयों तक आवेदन करना होगा।
- महाविद्यालय का कार्य-व्यय पत्रक वित्तीय सत्र समाप्ति के पश्चात् 15 दिवस में सॉफ्टवेयर/ऑनलाइन से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लेखित शर्तें (यदि कोई हो) की पूर्ति करने के पश्चात् ही आगामी सत्र में संवत्सरा की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त संवत्सरा स्वतः ही समाप्त नहीं जायेगी।
- विश्व संवत्सरा के छात्रों का प्रवेश माध्य नहीं किया जायेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- प्रयोगशाला लाइसेंस लेना अन्य आवश्यक अद्योत्तरचना तीन माह में निम्नलिखित एवं विस्तृत किया जा व इसकी सूचना विश्वविद्यालय को दी जायेगी।
- किसी भी नियम/निर्देश/प्रवचन की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त अस्वास्थ्य संवत्सरा स्वतः ही निरस्त नहीं जायेगी।

आदेशानुसार
 कुलपति
 राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय
 छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पु. क्र. 10466 / संवत्सरा / 2023 छिंदवाड़ा दिनांक 10/04/2023

प्रतिनिधि —

- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, पांचवी मंजिल, लक्ष्मण भवन, सोफन (म.प्र.) को सूचनाार्थ।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग जबलपुर (म.प्र.)।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद (म.प्र.)।
- कुलपति जी के निज सहायक के माध्यम से कुलपति जी की ओर सादर सूचनाार्थ।
- उपकुलसचिव, परीक्षा निबंधक/सोपनीय शाखा को कार्यवाही हेतु सूचनाार्थ।
- अग्रेगी आई.टी. सेल को सूचनाार्थ।

प्रभारी अकादमिक
 राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय



Office of the Principal, Government College Bichhua Chhindwara (M.P.) 480111



Mobile: +91 9425425968, Email: hegcbicbh@mp.gov.in
https://www.govtcollegebichhua.org, https://www.highereducation.mp.gov.in/?orgid=109



Established on 21/09/1989, Recognized under 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956
Affiliated to Raja Shankar Shah University, Chhindwara (M.P.) 480001

ACADEMIC YEAR : 2022-23

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)

P.G. College Campus Dharan Tekri, Chhindwara Email: affiliation@rajashahuniv.ac.in

सं. **8517** / सम्बद्धता / 2022 छिंदवाड़ा दिनांक 05/09/2022

प्रति,
प्राचार्य,
सामाजिक महाविद्यालय, बिहुआ,
जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

विषय— जल्पाई वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2022-23।

सम्बद्धता हेतु आपको द्वारा प्रेषित आवेदन को परीक्षण में सुविधा किया जाता है कि सत्र 2022-23 के लिये आपकी महाविद्यालय को निम्नलिखित विषयों हेतु जल्पाई वार्षिक सम्बद्धता प्रदान की जाती है, यह सम्बद्धता आगामी सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निदेशन समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मान्य अध्यापन निरस्त की जायेगी।

विषय / शाखा
बी.ए. — जाया, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र
बी.कॉम — वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्रयोग विज्ञान, भौतिकशास्त्र, गणित
बी.एस.सी. — जाया, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्रयोग विज्ञान, भौतिकशास्त्र, गणित
एम्.ए. — हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र
एम्.कॉम — वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र
एम्.एस.सी. — वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र

समान्य शर्तें—

- आपका ही सम्बद्धता/निर्देशन संस्था की सम्बद्धता प्राप्ति हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त पत्र के आधार पर जल्पाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
- जल्पाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु आगामी सत्र 2023-24 के लिए आगामी राज्य शिक्षा/निर्देशन संस्था की मान्यता निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ निरस्त दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय परीक्षायाम - 27 एवं 28 जून परीक्षा आयोजन का-6 एवं 7 सहित अन्य विवरण/निर्देशन का पालन करना होगा।
- महाविद्यालय का आक-व्यय पत्रक वित्तीय सत्र समाप्ति के पश्चात् 15 दिवस में खटौटी अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- आपकी शिक्षा का मंडल कर निर्धारित कैंडल का आक-व्यय, निदेशन सहित विश्वविद्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।
- राज्य शिक्षा विभाग/निर्देशन संस्था द्वारा जारी अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तें (यदि कोई हो) की पूर्ति करने के पश्चात् ही आगामी सत्र में सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदान सम्बद्धता रद्द की सम्बद्धता मानी जायेगी।
- बिना सम्बद्धता के छात्रों का प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा तथा उनकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रमुख की होगी।
- प्रवीणता, स्नातकोत्तर तथा अन्य आवश्यक अयोग्यताओं की शर्त में निर्मित एवं विकसित किया जा-व इसकी सूचना विश्वविद्यालय को दी जायेगी।
- किसी भी विषय/निर्देशन/प्राधान्य की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदान जल्पाई सम्बद्धता रद्द की निरस्त मानी जायेगी।

पु. सं. **8518** / सम्बद्धता / 2022

प्रतिनिधि—

- आगामी राज्य शिक्षा विभाग भोपाल (म.प्र.) की सूचनाओं।
- अतिरिक्त संचालक, राज्य शिक्षा विभाग, जबलपुर समान जबलपुर (म.प्र.)।
- संजीव अतिरिक्त संचालक, राज्य शिक्षा विभाग, नर्मदापुरम् समान होशंगाबाद (म.प्र.)।
- कुलपतिजी के निज सहायक के माध्यम से कुलपतिजी की ओर सादर सूचनाएँ।
- सचिव/सहायक, परीक्षा निदेशन/गोपनीय शाखा को कार्यवाही हेतु सूचनाएँ।
- प्रमारी जाई ही शेष को सूचनाएँ।

प्रमुख कुलपति,
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
छिन्दवाड़ा दिनांक 05/09/2022

प्रमुख कुलपति,
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)



Office of the Principal, Government College Bichhua Chhindwara (M.P.) 480111



Mobile: +91 9425425968, Email: hegcbicbh@mp.gov.in
<https://www.govtcollegebichhua.org>, <https://www.highereducation.mp.gov.in/?orgid=109>



Established on 21/09/1989, Recognized under 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956
 Affiliated to Raja Shankar Shah University, Chhindwara (M.P.) 480001

ACADEMIC YEAR : 2021-22

छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

क्र. 4986 / सम्बद्धता / 2021 छिंदवाड़ा दिनांक 03/08/2021

प्रार्थार्थ
 शासकीय महाविद्यालय, छिंदवाड़ा
 जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

विषय- अस्वास्थ्य वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2021-22 ।

सम्बद्धता हेतु आपकी द्वारा प्रेषित आवेदन को ध्यानपूर्वक में सूचित किया जाता है कि सत्र 2021-22 के लिये आपकी महाविद्यालय को निम्नलिखित विषयों हेतु अस्वास्थ्य सम्बद्धता प्रदान की जाती है, यह सम्बद्धता आगामी सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा चयनित निदेशिका समिति की निदेशिका रिपोर्ट के आधार पर मान्य अथवा निरस्त की जायेगी।

विषय / शाखा
बी.ए. - जा.पा. हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र
बी.कॉम - काग्रेस
बी.एस.सी. - जा.पा. वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणि विज्ञान, भौतिकशास्त्र, वनस्पति
एम.ए. - हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र
एम. कॉम - काग्रेस
एम.एस.सी. - वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र

सम्बन्धित बातें-

1. छात्रों की मान्यता/नियामक संस्था की मान्यता प्राप्ति हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के अभिव्यक्त पत्र के आधार पर अस्वास्थ्य सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
2. अस्वास्थ्य सम्बद्धता निरस्त करने हेतु आगामी सत्र 2022-23 के लिए आवेदन उच्च शिक्षा/नियामक संस्था की मान्यता निदेशिका सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ निवेदन दिनांक तक आवेदन करना होगा।
3. विश्वविद्यालय परीक्षण - 27 एवं 28 तथा परीक्षा कक्षादेश क्र. 6 एवं 7 सहित अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
4. महाविद्यालय को आठ-व्यय भ्रष्टाचार विरोधी सत्र समिति के परामर्श 16 दिवस में लॉर्ड ई. अवरजस्टेट से स्थापित करावापर प्रस्तुत करना होगा।
5. शासकीय निवास का नउम कर नियमित किराये का आयोगन, विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।
6. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी अनादीत प्रत्यक्ष-पत्र में उल्लेखित बातें (यदि कोई हो) की पूर्ति करने के परामर्श ही आगामी सत्र में सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त होगी।
7. बिना सम्बद्धता के छात्रों का प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
8. प्रशासनिक, लाइब्रेरी तथा अन्य आवश्यक जवाबदारी तीन माह में निर्मित एवं विकसित किया जाे व इसकी सूचना विश्वविद्यालय को दी जायेगी।
9. किसी भी नियम/निर्देश/प्राधान्य की पूर्ति न होने की स्थिति में अदर अस्वास्थ्य सम्बद्धता स्वतः ही निरस्त होगी।

पु. क्र. 4987 / एम. / 2021 छिंदवाड़ा दिनांक 03/08/2021

प्रतिनिधि -

1. कुलपतिजी के निज सहायक के माध्यम से कुलपतिजी की ओर सादर सूचनाएँ।
2. आभुस्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल (म.प्र.) को सूचनाएँ।
3. अतिरिक्त संयोजक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग जबलपुर (म.प्र.)।
4. सौजीव अतिरिक्त संयोजक, उच्च शिक्षा विभाग, नरसिपुर्न संभाग होशंगाबाद (म.प्र.)।
5. उपकुलपति, परीक्षा नियंत्रक/गोपनीय शाखा को कार्रवाई हेतु सूचनाएँ।
6. प्रभारी आई.टी. सेल को सूचनाएँ।

कुलसचिव
 छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय
 छिंदवाड़ा (म.प्र.)
 छिंदवाड़ा दिनांक 03/08/2021

सहायक कुलसचिव
 छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय
 छिंदवाड़ा (म.प्र.)



Office of the Principal, Government College Bichhua Chhindwara (M.P.) 480111



Mobile: +91 9425425968, Email: hegcbicbh@mp.gov.in
https://www.govtcollegebichhua.org, https://www.highereducation.mp.gov.in/?orgid=109



Established on 21/09/1989, Recognized under 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956

Affiliated to Raja Shankar Shah University, Chhindwara (M.P.) 480001

ACADEMIC YEAR : 2020-21

छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

क्र. 2641 / संबद्धता / 2020
प्रति,

छिंदवाड़ा दिनांक 15/7/2020

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

विषय:- अस्थाई वार्षिक संबद्धता सत्र 2020-21 ।

संबद्धता हेतु आपके द्वारा प्रेषित आवेदन के परिपेक्ष्य में सूचित किया जाता है कि सत्र 2020-21 के लिये आपके महाविद्यालय को निम्नांकित विषयों हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है, यह संबद्धता आगामी समय में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मान्य अथवा निरस्त की जायेगी।

विषय / शाखा	
बी.ए. (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष)	आ.पा., हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र
बी. कॉम (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष)	कामर्स
बी.एस.सी. (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष)	आ.पा., वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणि विज्ञान, भौतिकशास्त्र, गणित,
एम.ए. (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष)	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र
एम. कॉम (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष)	कामर्स
एम.एस.सी. (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष)	वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र

सामान्य शर्तें -

- शासन की मान्यता/नियामक संस्था की मान्यता प्राप्ति हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के अभिवचन पत्र के आधार पर अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है।
- अस्थाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2021-22 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा/नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय परिनियम - 27 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 सहित अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
- प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम-28 के अंतर्गत पूर्ण कर सूची दिनांक 15/03/2021 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है ऐसा न होने पर संबद्धता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वित्तीय सत्र समाप्ति के पश्चात् 15 दिवस में चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन, विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।
- उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लेखित शर्तें (यदि कोई हो) की पूर्ति करने के पश्चात् ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त संबद्धता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
- बिना संबद्धता के छात्रों का प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- प्रयोगशाला, लाईब्रेरी तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचना तीन माह में निर्मित एवं विकसित किया जाे व इसकी सूचना विश्वविद्यालय को दी जायेगी।
- किसी भी नियम/निर्देश/प्रावधान की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

पृ. क्र. 2641(A)
प्रति, सत्र. / 2020

(डॉ. आर.के. मिश्रा)
कुलसचिव
छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र.)
छिंदवाड़ा दिनांक 15/7/2020

प्रतिलिपि :-

- कुलपतिजी के निज सहायक के माध्यम से कुलपतिजी की ओर सादर सूचनार्थ।
- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ।
- अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग जबलपुर (म.प्र.)।
- उपकुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक/गोपनीय शाखा को कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- प्रभारी आई.टी. सेल को सूचनार्थ।

(सहायक कुलसचिव)
छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र.)